रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 1986/ज्येष्ठ 5, 1908
No. 119] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 1986/JYAISTHA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सं. 4/2/86-डी. बी. ए. 2.—अधिसूचना सं. 4/1/81-बी. ए. डी./(खंड-3) दिनांक 7-9-83 और अधिसूचना सं. 7/3/85-डी. बी. ए. 2 दिनांक 12-6-85 द्वारा उद्योग मंत्रालय,

औद्योगिक विकास विभाग की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 4/1/81-बी. ए. डी. (खंड - 3) दिनांक 2-5-1983 में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन/परिवर्धन करती है :—

पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी "ग" जिलों को दी जाने वाली रियायतें/प्रोत्साहन जो एक विशेष मामले के रूप में पंजाब राज्य के अमृतसर को भी दी गई है उनकी अवधि 1-4-1986 से 31-3-1987 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जाती है।

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th April, 1986

NOTIFICATION

No. 4|2|86-DBA II.—The Central Government hereby makes the following further amendment|addition to the Ministry of Industry, Department of Industrial Development's Notification No. 4|1|81-BAD (Vol. III), dated 2-5-1983 as amended vide Notification No. 4|1|81-BAD (Vol. III) dated 7-9-1983 and Notification No. 7|3|85-DBA-II dated 12-6-1985 :—

"The concessions|incentives available to Category 'C' districts of backward areas as extended to the district of Amritsar in Punjab State as a special case are further extended for a period of one year from 1-4-1986 to 31-3-1987."

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986